सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार एवं अनैतिक आचरणों को निर्भीक होकर उजागर करें

शिकायतें

कदाचार और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करने व रोकने के लिए शिकायतें एक महत्वपूर्ण साधन हैं। यह सभी हितधारकों जैसे, नागरिक, कर्मचारी एवं अन्य को सशक्त बनाने तथा उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त भारत के राष्ट्रीय अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी माध्यम भी है।

हालांकि, कुछ लोग प्रताड़ना के डर से भ्रष्टाचार को उजागर करने से बचते हैं। जहां केंद्रीय सतर्कता आयोग झूठी शिकायतों को हतोत्साहित करने व लोक सेवकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर किसी भी कारवाई से रोकता है, वहीं दूसरी तरफ आयोग ने उन उत्साहित व्यक्तियों, जो अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भ्रष्टाचार उजागर करना चाहते हैं, को प्रताड़ना से बचाने के लिए विस्तृत प्रावधान भी निर्धारित किए हैं।

पहचान गुप्त रखते हुए शिकायत करने के माध्यम:

यद्धपि किसी भी शिकायत पर कार्यवाही के लिए शिकायकर्ता की पहचान अनिवार्य है, फिर भी शिकायत दर्ज कराने के दो ऐसे भी तरीके हैं जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखना सुनिश्चित किया जाता है।

1. **लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (PIDPI) संकल्प के अंतर्गत शिकायत**
2. **बी.एच.ई.एल. की लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोअर) नीति के तहत शिकायत**

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (PIDPI) संकल्प के अंतर्गत शिकायतें

भारत सरकार के लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (PIDPI) संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए कार्यवाही की जाती है। इस संकल्प के प्रावधान के अंतर्गत शिकायत के लिफाफे के उपर "लोकहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखकर केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाना चाहिए। ऐसे शिकायती लिफाफों के उपर भेजने वाले का नाम व सम्बंधित जानकारी नहीं लिखी जानी चाहिए। जिन लिफाफों के बाहर "लोकहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" या "पी.आई.डी.पी.आई शिकायत" लिखा होगा, उन लिफाफों को डाकघर द्वारा प्रेषक से सम्बंधित जानकारी के बिना भी पंजीकरण और स्पीड पोस्ट सेवा हेतु स्वीकार किया जायेगा। शिकायतकर्ता अपना नाम व पता शिकायती पत्र के शुरुआत में या अंत में अथवा शिकायत के मुख्य भाग से अलग लिखें, जिससे शिकायत को जांच के लिए भेजे जाते समय इसे आसानी से हटाया/ छुपाया जा सके। शिकायतकर्ता का नाम व पता अलग पृष्ठ पर अंकित किया जाना सबसे बेहतर उपाय है। शिकायतकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी पहचान से संबंधित कोई भी जानकारी शिकायत के मुख्य भाग में न लिखी जाए जिससे उसकी पहचान की गोपनीयता बनी रह सके। उसे शिकायत की प्रति किसी और व्यक्ति या संस्थान को भी नहीं भेजनी चाहिये, अन्यथा पहचान उजागर होने की संभावना हो सकती है।

ऐसी शिकायतें अगर आयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी जैसे संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.), द्वारा प्राप्त की जाती हैं, तो वह उसे बिना लिफाफा खोले सी.वी.सी. को भेजता है, बशर्ते, लिफाफे के बाहर "लोकहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" या "पी.आई.डी.पी.आई शिकायत" अंकित हो।

सी.वी.सी पहले ऐसी शिकायतों के प्रेषक की पहचान सत्यापित करता है और सत्यापन के बाद, प्रेषक के विवरण को हटाकर शिकायत को आगे की जांच के लिए भेजा जाता है। इस चरण के बाद से शिकायतकर्ता की पहचान अन्य सभी एजेंसियों से छिपी रहती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शिकायतकर्ता की पहचान केवल सी.वी.सी. की फाइलों में ही बन्द रहे और किसी अन्य को पता न लगे।

पहचान सत्यापित करने के बाद, शिकायतकर्ता को सी.वी.सी. के साथ आगे किसी रुप में कोई संवाद नहीं करना चाहिए, इससे उसकी पहचान गुप्त बनाए रखना सुनिश्चित रहता है।

कोई भी व्यक्ति इस प्रावधान के तहत शिकायत कर सकता है और ऐसी सभी शिकायतें सी.वी.सी. या बी.एच.ई.एल. के मामले में भारी उद्योग मंत्रालय के सी.वी.ओ. को भेजी जानी चाहिए,जो आगे की कार्रवाई के लिए सी.वी.सी. को भेजेंगे। सी.वी.सी. शिकायतकर्ता की पहचान से संबंधित कोई भी विवरण, बाहरी लोगों से साझा नहीं करता है।

पी.आई.डी.पी.आई. शिकायत भेजने के लिए पता:

सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग,
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए, जीपीओ कॉम्प्लेक्स,
आईएनए, नई दिल्ली - 110 023

संदर्भ (Reference) :

लिंक- लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (PIDPI) संकल्प एवम संबंधित परिपत्र

वेब रूट- www.cvc.gov.in/hi> पीडपी/ पर्दाफाश शिकायतें

बी.एच.ई.एल. की लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोअर) नीति के तहत शिकायतें

किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यवहार, धोखाधड़ी या आचरण और नैतिकता पर कंपनी के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए बी.एच.ई.एल. ने दिनांक 14.02.2014 को लोक प्रहरी नीति अपनाते हुए एक प्रक्रिया स्थापित की है। यह नीति, ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आगे आने वाले कर्मचारियों को किसी भी उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करती है।

कोई भी बी.एच.ई.एल. कर्मचारी लोक प्रहरी नीति के तहत शिकायत कर सकते हैं। यह नीति शिकायतकर्ता कर्मचारी की पहचान उजागर न करने की गारंटी देती है और शिकायत करने के लिए उसे किसी भी सम्भावित उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए आश्वस्त करती है। यह ऐसी शिकायतों की जांच में सहायता करने वाले या जांच के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी इसी तरह की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आश्वस्त करती है।

इस प्रावधान के तहत शिकायतों को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए। इस नीति के तहत भेजी गई शिकायत ठीक तरह से बंद और सुरक्षित होनी चाहिए और शिकायती लिफाफे पर "लोक प्रहरी नीति के अधीन शिकायत" लिखा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता या तो शिकायत की शुरुआत में, या अंत में अथवा शिकायत के मुख्य भाग से अलग लिखना चाहिए, ताकि आगे की जांच के लिए शिकायत सौंपते समय इसे आसानी से हटाया जा सके। शिकायतकर्ता का नाम व पता शिकायत के साथ संलग्न एक अलग पृष्ठ पर अंकित किया जाना सबसे बेहतर उपाय है। शिकायतकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी पहचान से संबंधित कोई भी जानकारी शिकायत के मुख्य भाग में न लिखी जाए जिससे उसकी पहचान की गोपनीयता बनी रह सके। उसे शिकायत की प्रति किसी और व्यक्ति या संस्थान को भी नहीं भेजनी चाहिये, अन्यथा पहचान उजागर होने की संभावना हो सकती है।

इस तरह की शिकायतों पर कार्यवाही कंपनी की इस नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

लोक प्रहरी नीति के तहत शिकायत भेजने के लिए पता:

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति,
द्वारा कंपनी सचिव,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
सीरी फोर्ट, नई दिल्ली - 110 049

संदर्भ (Reference) :

लिंक- बी.एच.ई.एल. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

वेब रूट- www.bhel.com/hi> सतर्कता> महत्वपूर्ण नीतियां/परिपत्र> बी.एच.ई.एल. लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोअर) नीति

शिकायत करने में आ रही किसी भी समस्या या सहयोग के लिए सम्पर्क करें:

कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग,
बी.एच.ई.एल. हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली- 110049
फोन: +91-11- 66337006, ई-मेल: cvo@bhel.in; vigilance@bhel.in

Creating BHEL of tomorrow